



2026:AHC:47813

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7215 वर्ष 2026

अशोक एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : शेख ओबैदुल्लाह

प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, विपक्षी को नोटिस जारी कर इस याचिका को न्यायालय में लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी स्वयं को इस आदेश से व्यथित अनुभव करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन के लिए आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा केवल यह राहत प्रार्थित की गई है कि प्रतिवादी संख्या-3/अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को निर्देशित किया जाए कि वह अपील संख्या-1534 वर्ष 2025 (कम्प्यूटर वाद संख्या सी202515000001534) (राज पति राय बनाम अशोक), जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(4) के अंतर्गत दाखिल की गई है, का शीघ्र निस्तारण करें।
4. उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबे समय से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अब तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या-3/अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त अपील का **विधि के अनुसार**

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कड़ाई से तथा यथाशीघ्र, अधिमानतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर, अनावश्यक स्थगन दिए बिना, निर्णय करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

9 मार्च, 2026

पी.पी.

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।